

बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग


अतिआवश्यक सूचना

कोरोना महामारी के दौरान कलाकारों के कला का सम्मान करते हुये यथा संभव प्रोत्साहन प्रदान करने के निमित्त कला, संस्कृति एवं युवा विभाग (सांस्कृतिक कार्य निदेशालय) बिहार, पटना द्वारा बिहार राज्य के सभी कलाकारों (गीत, संगीत, नृत्य, नाटक वाद्ययंत्र, पेंटिंग आदि सभी कलाओं से संबंधित) को सूचित किया जाता है कि-

1. इस योजना में बिहार राज्य के कलाकार ऑनलाईन प्रविष्टि दे सकते हैं। एक कलाकार की एक ही प्रविष्टि मान्य होगी। एक कलाकार की एकल अथवा दल प्रस्तुति में से किसी एक में ही भागीदारी मान्य होगी।
2. प्रविष्टि की अंतिम तिथि 15.07.2021 किया जाता है। प्रदर्शन योग्य न्यूनतम गुणवत्ता तक के वीडियो का चयन किया जायेगा। चयनित एकल प्रस्तुति को ₹ 1,500/- (एक हजार पांच सौ) तथा दल की प्रस्तुति हेतु ₹ 3,000/- (तीन हजार) की प्रोत्साहन राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खाता में किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ प्रथम स्थान प्राप्त प्रस्तुति को ₹ 10,000/- (दस हजार), द्वितीय स्थान प्राप्त प्रस्तुति को ₹ 7,000/- (सात हजार) तथा तृतीय स्थान प्राप्त प्रस्तुति को ₹ 5,000/- (पांच हजार) का पुरस्कार सीधे उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
3. कलाकार कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के Website (<https://state.bihar.gov.in>) पर उपलब्ध कराये गये लिंक https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi92eMupabnGTJprEzRRneabR1GolBiZgsSnNySMgbRPj1mg/viewform?usp=sf_link पर जाकर वहाँ उपलब्ध आवेदन प्रपत्र भरकर अपना online आवेदन Submit कर सकते हैं। online आवेदन हेतु आवेदक को अपना रंगीन आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक (नाम, पता (पिन कोड सहित), बैंक खाता संख्या, IFSC Code, बैंक का नाम, शाखा, खाते का प्रकार सहित), दूरभाष संख्या (बैंक खाता से लिंक) upload करना अनिवार्य होगा एवं अच्छी गुणवत्ता के वीडियो का youtube link बनाकर आवेदन में शेर करेगे। प्रोत्साहन राशि का भुगतान संबंधित कलाकारों को उनके Aadhar seeded बैंक खाता के माध्यम से किया जायेगा।
4. किसी भी परिस्थिति में एक से अधिक कलाकार एक ही दूरभाष संख्या (बैंक खाता से लिंक), आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक विवरणी आदि का प्रयोग नहीं करेंगे, अन्यथा संबंधित कलाकारों का दावा मान्य नहीं होगा। दल की स्थिति में दल नेता का दूरभाष संख्या (बैंक खाता से लिंक), आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक विवरणी आदि मान्य होगा।
5. किसी भी तरह के फिल्मी गीतों अथवा फिल्मी गीतों पर आधारित नृत्य का वीडियो इस योजना के लिए अपात्र होगा।

6. वीडियों की अवधि 05 मिनट अपेक्षित है। कलाकारों से अपेक्षा की जाती है कि वो कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम/जागरूकता तथा इस महामारी से बचाव संबंधी उपायों उदाहरण स्वरूप सरकार द्वारा जनहित में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जारी राशन कार्डधारियों को मुफ्त अनाज की सहायता, मुफ्त टिकाकरण, छात्रवृत्ति आदि, वृद्धजन पेंशन, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना आदि सहित अन्य बाहरी मजदूरों को सहायता, सामुदायिक किचन, अनुग्रह अनुदान, कल्याणकारी कार्यो एवं बचाव में चिकित्सा कर्मी, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, मिडिया कर्मी, खाद्यान्न आदि आवश्यक आपूर्तिकर्ता को सहयोग एवं सम्मान आदि एवं जल जीवन हरियाली, सात निश्चय पार्ट-2 आदि महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं तथा महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल और महत्वपूर्ण पर्व त्योहार आदि के संबंध में संबंधित कलाकार अपनी कला की प्रस्तुति का 05 मिनट का वीडियो अपने स्थान पर ही तैयार करके Website (<https://state.bihar.gov.in>>yac) पर उपलब्ध कराये गये लिंक https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi92eMupabnGTJprEzRRnea bR1GolBiZgsSnNySMgbRPj1mg/viewform?usp=sf_link पर अपलोड कर Submit करेंगे एवं वीडियो बनाने में निम्नलिखित बातों का अवश्य ध्यान रखें:-

- (I) प्रस्तुति की रिकार्डिंग के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन करें। वीडियो में कलाकार अपने प्रदर्शन से पहले अपना पूरा परिचय देंगे जैसे- नाम (बैंक खाता के अनुसार), पिता का नाम, पूर्ण पता (पिन कोड सहित) और मोबाईल नम्बर (बैंक खाता से लिंक), एवं तिथि बोल कर दर्ज करेंगे। फिर यह बतायेंगे कि वे कौन सी कला का प्रदर्शन करने जा रहे हैं अर्थात कला का नाम बतायेंगे फिर अपनी प्रस्तुति आरंभ करेंगे।
- (II) **online** के द्वारा प्राप्त आवेदन ही मान्य होगा। अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- (III) वीडियो रिकार्डिंग किसी भी मोबाईल कैमरे या किसी भी अच्छे कैमरे से की जा सकती है, बस वीडियो कम से कम इस स्तर का हो कि लोग उसको देखकर उस प्रस्तुति का आनंद ले सकें और उसे मूल्यांकन समिति द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड अथवा प्रसारण करने योग्य समझा जाये।
- (IV) आवेदक द्वारा **online** आवेदन में शेयर किये गये **youtube link** कम से कम तीन माह तक **youtube** पर उपलब्ध रखना अनिवार्य होगा। चयनित वीडियो पर बिहार सरकार का एकाधिकार होगा।


19/1/21
निदेशक,

सांस्कृतिक कार्य निदेशालय,
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग,
बिहार, पटना।
21/1/21